महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

क़ादर नवाज़ ख़ान
KADAR NAWAZ KHAN
कुलसचिव
REGISTRAR

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax :+91-7152-230903

पत्रांक : 006/Estt/Gen./79/Part-III/7129
दिनांक : 11 .09.2017

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कतिपय शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक सदस्यों द्वारा संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम के लिए कर्तव्य अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं अन्य प्रकार के अवकाश के आवेदन एक-दो दिन पूर्व ही स्थापना एवं प्रशासन विभाग को प्रेषित किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्राप्त आवेदनों/पत्रों पर यथासमय कार्यवाही नहीं हो पाती है।

उक्त स्थिति को देखते हुए समस्त शैक्षणिक एवं अकादमिक सदस्यों से अनुरोध है कि संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम के लिए कर्तव्य अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं अन्य प्रकार के अवकाश पर जाने से दो सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में अपने संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/विभाग प्रमुख से अग्रेषित करा कर प्रतिकुलपति कार्यालय प्रेषित करें। अवकाश स्वीकृति के पश्चात ही अवकाश पर जाना मान्य होगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

क़ादर नवाज़
(क़ादर नवाज़ ख़ान)
10/09/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
4. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. प्रभारी, लीला विभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित पत्रावली
7. गार्ड फाइल